दावा संख्या 29/2021 अन्तर्गत धारा 88 Rt. Act

हरपाल बनाम चेतराम आदि

आदेश दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम इस हुक्म तामील में हुए
01.07.2021	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। प्रतिवादीगण की ओर से इकबालिये जाबव दावा पेश किया गया। इनकी ओर से श्री मूलचंद शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया गया। अधिवक्ता पक्षकरान को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। दावा धोषणात्मक का है। जिसमें सभी पक्षकारान सहमत है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 7 ने सहमति से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का प्रत्येक का 1/5, 1/5 हिस्से का खातेदार धोषित करने का निवेदन किया है। अधिवक्ता पक्षकरान ने आदेशिका पर वाद को डिक्री किये जाने की सहमति जाहिर की गई। अतः न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। **–:: आदेश ::–** अतः न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाता है कि वाके ग्राम अगवाना कलां स्थित भूमि खसरा नम्बर 146 रकबा 3.22 है., खसरा नम्बर 147 रकबा 3.30 है. तथा वाके ग्राम अगवाना खुर्द स्थित भूमि खसरा नम्बर 38 रकबा 1.48 है. भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को प्रत्येक को 1/5, 1/5 बराबर हिस्से का खातेदार धोषित किया जाता है। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। (अभिलाषा) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ	

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:33:48 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सूरजगढ जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– अभिलाषा आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 29/2021

निर्णय दिनांक :– 01.07.2021

हरपाल **बनाम** चेतराम आदि

दावा– घोषणात्मक

वादी की ओर से **श्री विरेन्द्रकुमार एडवोकेट** की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री मूलचंद शर्मा एडवाकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **01.07.2021** को **अभिलाषा उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" अतः न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाता है कि वाके ग्राम अगवाना कलां स्थित भूमि खसरा नम्बर 146 रकबा 3.22 है., खसरा नम्बर 147 रकबा 3.30 है. तथा वाके ग्राम अगवाना खुर्द स्थित भूमि खसरा नम्बर 38 रकबा 1.48 है. भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को प्रत्येक को 1/5, 1/5 बराबर हिस्से का खातेदार धोषित किया जाता है। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 01.07.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:33:48 IST
Reason: SelfAttested